



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230404
CG-DL-E-14102021-230404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3900]
No. 3900]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4247(अ).—यतः, मैसर्स आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो आंध्र प्रदेश राज्य का एक सरकारी संगठन है, ने आंध्रप्रदेश राज्य में, सरपावरम गांव, काकीनाडा ग्रामीण पूर्व गोदावरी जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 63 (अ) दिनांक 09 जनवरी, 2008 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.413 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मैसर्स आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.593 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है

और यतः, आंध्रप्रदेश सरकार ने उनके पत्र सं. आईटीसी01-आईटी. प्रोम (आईटीपीआर)/122/2019 प्रमोशन्स दिनांक 27 नवंबर, 2020 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापट्टनम, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 1.593 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.593 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 8.82 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सरपावरम	116	0.728
2.		118	0.246
3.		119	0.619
		कुल	1.593
उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			8.820

[फा. सं. एफ. 1/137/2007-एसईजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4247(E).—Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, a Government Organisation in the State of Andhra Pradesh, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Sarpavaram Village, Kakinada Rural East Godavari District in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.413 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O.63(E) dated 9th January, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited has now proposed for de-notification of 1.593 hectare from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letter No. ITC01-IT0PROM(ITPR)/122/2019-PROMOTIONS dated 27th November, 2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.593 hectare of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.593 hectare, thereby making the resultant area as 8.82 hectare, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village		Survey number	Area (in hectares)
1.	Sarpavaram		116	0.728
2.			118	0.246
3.			119	0.619
		Total		1.593
Grant total area of SEZ after above de-notification				8.820

[F. No. F.1/137/2007-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.